

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स. 3-5(2)स्था/मंत्रा/अभि/2023/913-32

जयपुर, दिनांक:- **13-10-2025**

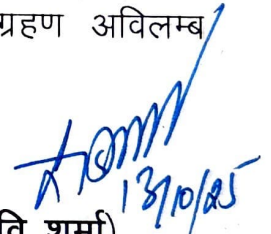
आदेश

अभियोजन निदेशालय के आदेश स. 27(3)(2)पदो./अभि/2025 दिनांक 12.09.2025 द्वारा प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया है।

उक्त पदोन्नत कर्मचारीगण का पदस्थापन लोकहित में निम्नानुसार किया जाता है :-

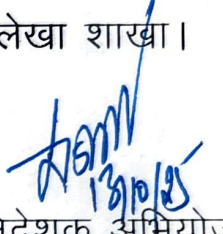
क्र.सं.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	वि०वि०
1.	श्री रामावतार मीना	कार्यालय संयुक्त निदेशक अभियोजन, कोटा (संस्थापन अधिकारी पद विरुद्ध)	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, भीलवाड़ा	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
2.	श्री गोपीसहाय मीना	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, दौसा	कार्यालय संयुक्त निदेशक अभियोजन, कोटा	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
3.	श्री प्रहलाद मीना	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, टोंक	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, सीकर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर

संबंधित अधिकारी उपरोक्त कर्मचारीगण की कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण अविलम्ब करवाकर पालना सुनिश्चित करें।


(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ----- ।
6. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर